न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/20.24/ 205 दिनांकः–29.11.24

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

~~वाद~~/प्रार्थना पत्र संख्या 279/प्रा०पत्र/2023

बउनवान बद्रीलाल बनाम श्रीमिधारी राज०सरकार

निर्णय दिनांक 26-11-24

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ~~वाद पत्र~~/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री~~/~~अन्तिम डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

26/11/2024
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्या:—279/प्रा0पत्र/2023 (GCMS NO. 2023/432) दायरा दिनांक :— 07.11.2023

1. बद्रीलाल आत्मज लड्डू उर्फ कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अरनेठा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवां, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इन्द्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी:— श्री दीपक कुमार गुर्जर
वकील अप्रार्थी :—पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :— 26.11.2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अरनेठा पटवार हल्का आंतरदा तहसील नैनवां में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के वर्तमान खाता संख्या 130 की कृषि भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 1.5695 हैक्टयर स्थित है, जिसका खातेदार आसामी प्रार्थी है जो इस हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या नया 130 की कृषि भूमि खसरा संख्या 457 का जो प्रार्थी के नाम पूर्व में नामान्तकरण खोला गया था उसमें प्रार्थी के पिता का सही नाम लड्डू उर्फ कन्हैयालाल अंकित करने के स्थान पर त्रुटिवश सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम केवल लड्डू उर्फ ही अंकित कर देने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम लड्डू उर्फ अस्पष्ट व गलत दर्ज हो रहा है। यह कि प्रार्थी के पहचान संबंधी एवं अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैयालाल दर्ज है व बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर तहसील नैनवां से प्रार्थी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण ले रखा है उसमें भी प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैयालाल उर्फ लड्डू दर्ज रिकार्ड है, परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम केवल लड्डू उर्फ ही लिखा हुआ है, जिस कारण प्रार्थी को राज्य व केन्द्र सरकार की भूमि संबंधी योजनाओं का लाभ नही मिल पाता है व काफी परेशानियों का भी सामना करना पडता है। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का करण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार कार्यालय तहसीलदार नैनवां का पत्रांक :— 3115 दिनांक :— 11.07.2024 द्वारा निवेदन किया कि ग्राम अरनेठा पटवार हल्का आंतरदा तहसील नैनवां में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के वर्तमान खाता संख्या 130 की कृषि भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 1.5695 हैक्टयर स्थित है। ग्राम अरनेठा में उपस्थित व्यक्तियों से पुछताछ में वताया कि खातेदार बद्रीलाल के पिता लड्डू लाल को कन्हैयालाल के नाम से भी जाना जाता है दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया गया है। अतः मुताबिक पटवारी रिपोर्ट के राजस्व रिकार्ड प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में दर्ज भूमि में नाम संशोधन में बद्रीलाल पुत्र लड्डू उर्फ कन्हैयालाल जाति ब्राहमण दर्ज की अभिशंषा के रिपोर्ट पेश की।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम लड्डू उर्फ कन्हैयालाल अंकित करने के स्थान पर त्रुटिवश सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम केवल

लड्डू उर्फ ही अंकित कर देने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम लड्डू उर्फ अस्पष्ट व गलत दर्ज हो रहा है। जिसको शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, वोटर आईडी में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैयालाल अंकित है। प्रकरण में प्रार्थी के पिता का नाम ''लड्डू उर्फ'' लिपिकीय त्रुटि से अंकन होना जाहिर आया है। प्रकरण में जबाव पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाकर बद्रीलाल पुत्र लड्डू उर्फ कन्हैयालाल जाति ब्राहमण दर्ज की अभिशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम अरनेठा पटवार हल्का आंतरदा तहसील नैनवां में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के वर्तमान खाता संख्या 130 की कृषि भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 1.5695 हैक्टयर में दर्ज ''बद्रीलाल पुत्र लड्डूउर्फ'' के स्थान पर ''बद्रीलाल पुत्र लड्डू उर्फ कन्हैयालाल'' शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहर्रीर जांरी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 26.11.2024 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

26/11/2024

(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां